[28/12/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 161]

कार्यालय जिला पंचायत जिला–शाजापुर म.प्र.

दुरभाष नम्बर 226100
ई–मेल आईडी CEOZPSHJ@MP.NIC.IN

कमांक/जि.प./शिक्षा/2020/मार्गदर्शन/5020 शाजापुर,दिनांक 18 दिसंबर 2020

प्रति,

आयुक्त
लोकशिक्षण म.प्र. भोपाल

विषयः–मार्गदर्शन प्रदान करने विषयक ।

—00—

उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण मे सादर लेख है कि संयुक्त आयुक्त (शिकायत,सतर्कता एवं ई. ओ.डब्ल्यू) विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र. शासन भोपाल के पत्र कमांक 8937/सी.एमएस/ वि. –15/22/शिका./2018 दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से विधानसभा प्रश्न कमांक 5737 के उत्तर के संबंध मे श्री योगेन्द्रसिंह (बाबा) विधायक लखनादौन वि.स.क्षैत्र 117 जिला सिवनी म.प्र. के द्वारा प्रेषित श्री सुभाषचंद्र शर्मा का आवेदन उपलब्ध कराते हुए आवेदन के संलग्न सहपत्रो के अनुसार जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये ।

2. इस तारतम्य मे कार्यालयीन आदेश कमांक/जि.पं./शिका./17/2702 दिनांक 14.09.2018 द्वारा तीनसदस्य जांचदल जिसमे जिला शिक्षा अधिकारी शजापुर,जिला संयोजक आ.जा.क.विभाग एवं प्राचार्य शास.उ.मा.वि.क.2 शाजापुर सम्मिलित थे, से जांच कराई गई । जांचदल द्वारा उनके पत्र कमांक 134 दिनांक 04.05.2019 एवं संशोधित जांचं प्रतिवेदन कमांक 142 दिनांक 30.05.22019 के संलग्न जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु उक्त जाच प्रतिवेदन की छायाप्रति पत्रसह संलग्न सादर प्रेषित हैं । यह कि श्री सुभाषचंद्र शर्मा द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अन्य बिन्दु कमांक 01 व 02 को विलोपित करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है ।

3. उक्त जांच रिपोर्ट के अन्य बिन्दु के तथ्य कमांक 01 व 02 नीतिगत है साथ ही श्री सुभाषचंद्र शर्मा वर्तमान मे शाजापुर जिले से स्थानांतरित होकर राजगढ जिले मे पदस्थ है । अतःबिन्दु कमांक 01 व 02 के संबंध मे पृच्छा यह है कि क्या आवेदक श्री सुभाषचंद्र शर्मा को हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद व प्रदेश के बाहर स्थित संस्था श्री गोपाल आदर्श इण्टर हाथरस उत्तरप्रदेश के अनुभव के आधार पर अनुभव प्रमाणपत्र का अधिभार दिया जाना विधिसम्मत है अथवा नही ? यदि अधिभार दिया जाना वैधानिक नही है तो इस स्थिति मे श्री सुभाषचंद्र शर्मा की नियुक्ति शाजापुर जिले मे होने एवं वर्तमान पदस्थापना राजगढ जिले मे होने से किस जिले द्वारा आगामी कार्यवाही की जाना है ? कृपया अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओ पर मार्गदर्शन देने का कष्ट करे,ताँकि प्रकरण मे त्वरित आगामी कार्यवाही की जा सके । सादर

संलग्न :– प्रकरण से संबंधित अभिलेख की छायाप्रति ।

Nisha Singh 18/12/2020
(निशा सिंह)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत शाजापुर

पृ.क्रमांक/ कमांक/जि.प./शिक्षा/2020/मार्गदर्शन/5020 शाजापुर,दिनांक 18 दिसंबर 2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त संचालक, (शिकायत,सतर्कता एवं ई.एस.डब्ल्यू) विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल

Nisha Singh
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत शाजापुर